

न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, भरतपुर

(पीठासीन अधिकारी: बीना महावर, आर0ए0एस0)

पन्नावली संख्या : 26 / 2020 प्रार्थना पत्र (खा.सु.अ.)

केशव कुमार गोयल, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, भरतपुर।

आवेदक

बनाम

चेतनसिंह पुत्र शेरसिंह जाट उम्र 58 (खाद्य कारोवारकर्ता, मालिक एवं विक्रेता) मैसर्स गायत्री प्रोडक्ट्स, जधीना गेट, गोपालगढ, भरतपुर निवासी जधीना गेट, गोपालगढ, भरतपुर

गैरसायल


प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 26(2) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 एवं नियम 2011.

- उपस्थित :- 1. प्रार्थी उपस्थित
2. गैरसायल स्वयं

निर्णय

दिनांक : 31.12.2020

आवेदक द्वारा यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26(2) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत विरुद्ध गैरसायल दिनांक 05.10.2020 को प्रस्तुत किया गया है। गैरसायल को नोटिस जारी किया गया। गैरसायल दिनांक 03.11.2020 को उपस्थिति हुआ। इस्तगासा की नकल गैरसायल को दी गई। नियत दिनांक 31.12.2020 को गैरसायल को इस्तगासा में अंकित आरोप सुनाया गया कि दिनांक 10.02.2020 को बाद दोपहर 03:30 बजे



न्याय निर्णयन अधिकारी
एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
भरतपुर (राज.)

गैरसायल की दुकान का निरीक्षण किया गया। वक्त निरीक्षण दुकान में आमजन विक्री वास्ते 500 मिली. बजनी पैकिंग के खाद्य पदार्थ माइल्ड फैंट ब्रजरस (रिफाइन्ड तेल, वनस्पति घी, वटर एवं प्लेवर निर्मित) के मूल 5 सील्ड पैक रखे मिले जिनमें मिलावट का शक होने पर नियमानुसार मौके माइल्ड फैंट ब्रजरस में से 4 मूल माइल्ड फैंट ब्रजरस 240/-रुपये में क्रय किया गया तथा उसमें से नमूना लिया गया तथा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, भरतपुर द्वारा खाद्य विश्लेषक अलवर के यहां जांच हेतु भिजवाया गया। खाद्य विश्लेषक की जांच रिपोर्ट संख्या एलएस-95/एक्ट/2020/165 दिनांक 27.02.2020 द्वारा उक्त माइल्ड फैंट ब्रजरस का नमूना मिथ्याछाप स्तर (Misbranded) प्रकृति का पाया गया है। गैरसायल के द्वारा मिथ्याछाप स्तर का माइल्ड फैंट ब्रजरस का आम जनता को विक्रय कर एफएसएस एक्ट 2006 की धारा 26(2)(ii) एवं नियम व विनियम 2011 का उल्लंघन किया गया है।

प्रार्थी ने अपने तर्कों में जाहिर किया कि गैरसायल के द्वारा ब्रजरस माइल्ड फैंट के निर्माण करने में रिफाइन्ड होने के कारण सैम्पिल लिया गया है। सैम्पिल मिथ्याछाप स्तर (Misbranded) का पाया है।

आरोपो को सुन व समझकर गैरसायल ने कथन किया कि यह प्रोडेक्ट मानव सेवन के लिये नहीं बनाया गया है। ब्रजरस के डिब्बे पर स्पष्ट शब्दों में Use for only yagya hawan pujan अंकित कराई है फिर भी जांच अधिकारी महोदय ने खाद्य पदार्थ के अन्तर्गत प्रकरण बनाकर श्रीमान् के समक्ष प्रस्तुत कर दिया है। गैरसायल काफी समय से माइल्ड फैंट ब्रजरस का निर्माण करके विक्रय करता चला आ रहा है। प्रार्थी ने ब्रजरस माइल्ड फैंट का निर्माण केवल यज्ञ, हवन पूजा के उपयोग में लेने के लिए किया है। गैरसायल के द्वारा फर्म गायत्री प्रोडेक्ट का रजिस्ट्रेशन जिला उद्योग केन्द्र भरतपुर में करा रखा है। गैरसायल के द्वारा उक्त प्रोडेक्ट का निर्माण मानव सेवन के लिये नहीं किया गया। प्रार्थी का प्रकरण अनावश्यक रूप से बनाया गया इसलिये खारिज किया जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। गैरसायल के कथनों पर गौर किया। वक्त निरीक्षण दिनांक 10.02.2020 को गैरसायल की दुकान से आमजनता के विक्रय हेतु संग्रहित


न्याय निर्णयन अधिकारी
एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
भरतपुर (राज.)

500 मिग्रा. बजन के 5 ब्रजरस माइल्ड फैंट के पैकेट का नमूना लिया गया है। जो खाद्य विश्लेषक अलवर की जांच रिपोर्ट दिनांक 27.02.2020 में मिथ्याछाप स्तर (Misbranded) प्रकृति का पाया गया है। गैरसायल के द्वारा ब्रजरस माइल्ड फैंट का काफी समय से निर्माण कर यज्ञ, हवन पूजा के लिये विक्रय करना बताया। गैरसायल के द्वारा ब्रजरस माइल्ड फैंट का मानव सेवन के लिये निर्माण नहीं किया जाकर यज्ञ, हवन पूजा के लिये निर्माण किया जाना दौराने सुनवाई स्वीकार किया गया है। गैरसायल ने ब्रजरस माइल्ड फैंट का डिब्बा का नमूना तथा जिला उद्योग केंद्र भरतपुर से जारी रजिस्ट्रेशन की प्रति वक्त सुनवाई प्रस्तुत की है। गैरसायल के द्वारा निर्मित किया गया ब्रजरस माइल्ड फैंट मानव सेवन के लिये नहीं होकर यज्ञ, हवन पूजा आदि के लिये निर्माण किया गया है। ब्रजरस खाद्य पदार्थ की श्रेणी में नहीं आता है। अतः प्रकरण ड्रॉप (Drop) किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर बाद पूर्ति दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दि. 31.12.2020 को सरे इजलास सुनाया गया।



(बीना महावर)

न्याय निर्णयन अधिकारी
एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर,
भरतपुर (राज.)